

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अध्याग्राही द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सरोजनीनगर लखनऊ क्रम 2020367004524

आवेदन संख्या : 202001041004467

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2020-02-04 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम गुरुवचन सिंह

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 42200816 / 18490000

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. सुझार के अधिप्रभापी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20060

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2020-02-04 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-02-04 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp



**Certificate No.** : IN-UP07103093211333S  
**Certificate Issued Date** : 03-Jan-2020 05:13 PM  
**Account Reference** : SHCIL (FI)/ upshcil01/ SAROJINI NAGAR/ UP-LKN  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-UPUPSHCIL0108446350359305S  
**Purchased by** : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD  
**Description of Document** : Article 23 Conveyance  
**Property Description** : 16/COM-11, NEAR TRAUMA CENTER, SEC-16, VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW  
**Consideration Price (Rs.)** :  
**First Party** : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD  
**Second Party** : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD  
**Stamp Duty Paid By** : TANYA INFRABUILD AND INFOTECH PVT LTD  
**Stamp Duty Amount (Rs.)** : 6,19,070  
 (Six Lakh Ninteen Thousand And Seventy only)



बैनामा पत्र  
 प्रमाणित किया जाता है विक्रय अनुबंध  
 प्रलेख संख्या 1265/2017 में किया गया  
 सदाय शुल्क 237895/- इस विक्रय पत्र  
 में समाविष्ट किया गया।

उप-निर्देशक (सरोजनीनगर)  
 लखनऊ

Please write or type below this line-----



क्रेता

विक्रेता



SR 0010673844

सम्पत्ति प्रबंधक  
 वृन्दावन योजना, लखनऊ

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 20

माह 01

वर्ष 2020

की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी है और सम्मिलित हैं।

एक पक्ष और तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा०लि० की ओर से श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी- एन०सी०बी० सिंगार नगर, सिंगार नगर बारात घर आलमबाग, लखनऊ एवं मैसर्स एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर्स प्रा०लि० की ओर से श्री गौरव दीप सिंह पुत्र श्री गुरुबचन सिंह निवासी- एन०सी०बी० सिंगार नगर, सिंगार नगर बारात घर आलमबाग, लखनऊ जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर- 16 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 16/COM-11 का व्यय किया है और चूंकि उक्त परिषद ने ₹० 3,33,55,960.00 (₹० तीन करोड़ तैतीस लाख पचपन हजार नौ सौ साठ मात्र) जिसका आधा ₹० 1,66,77,980.00 (₹० एक करोड़ छ्ठाठ लाख लाख सत्तहत्तर हजार नौ सौ अस्सी मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-16/COM-11) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव अब ₹० 3,33,55,960.00 (₹० तीन करोड़ तैतीस लाख पचपन हजार नौ सौ साठ मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद् द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 16/COM-11) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-



*[Signature]*

विक्रेता

सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमश: 2 पर

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जा चुका है।

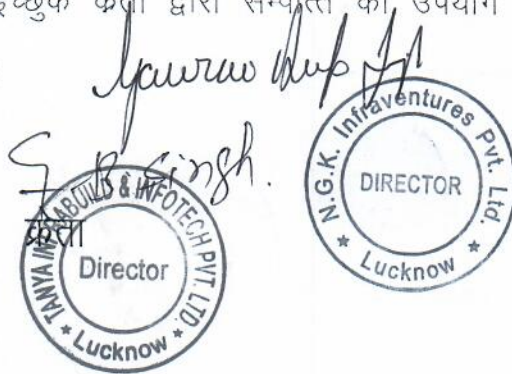
(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

((6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी विनियम-1980 (यथा संशोधित जनवरी 1993 पुनः संशोधित मार्च 2016) अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा।



विक्रेता

सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क़य किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए नियमानुसार सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या— **16/COM-11**) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 17% (सत्रह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या— **16/COM-11** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

(11) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होंगे।

*S.B. Singh.*  
क्रेता



*[Signature]*

विक्रेता

सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 4. पर

जिसके साक्ष्य में श्री केशव देव शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा0लि0 की ओर से श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह एवं मैसर्स एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 की ओर से श्री गौरव दीप सिंह पुत्र श्री गुरुबचन सिंह आशयिता संख्या-16/COM-11 व्यवसायिक भूखण्ड के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

नोट:- (1) व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11 का मूल्य रु० 3,33,55,960.00 एवं ब्याज रु० 88,44,856.00 सहित कुल रु० 4,22,00,816.00 आवंटी/फर्म द्वारा परिषद में भुगतान किया गया है।

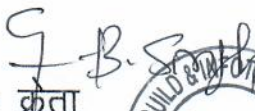
वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11, एवं कुल क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रु० 25000.00 एवं 45.00 मीटर चौड़ी सड़क पर होने की दशा में कुल रु० 25000.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ - रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 739.60 मीटर की मालियत रु० 1,84,90,000.00 है। परिषद द्वारा ब्याज सहित आवंटित मूल्य रु० 4,22,00,816.00 है।

जोकि उप निबन्धक(प्रथम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 03/02/2017 को वही संख्या 1 जिल्द संख्या 21940 के पृष्ठ संख्या 381 से 396 पर क्रम संख्या 1265 पर रजिस्टर्ड किराया किश्त क्रय अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प रु० 23,35,000.00 समायोजन उपरान्त उ०प्र०शासनादेश सं०वि०क०नि०- 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP07103093211333S दिनांक 03/01/2020 द्वारा रु० 6,19,070.00 के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

विक्रेता एवं क्रेता मध्य पूरक विलेख दिनांक 31.01.2020 को निष्पादित हुआ है जो कार्यालय उप निबन्धक सरोजनी नगर, लखनऊ में वही सं० 1 जिल्द संख्या-3768 के पृष्ठ सं० 173 से 180 तक क्रमांक 3121 पर दिनांक 03.02.2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

नोट:- इस कार्यालय के आदेश सं० 1185 दिनांक 10.03.2017 द्वारा आवंटित फर्म तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा0लि0 के साथ मैसर्स एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 का नाम जोड़ा गया।

क्रेता





विक्रेता

क्रमशः 5 पर

सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

(5)

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 16/COM-11 व्यवसायिक भूखण्ड

क्षेत्रफल

739.60 वर्ग मीटर

सीमाएँ:-

उत्तर- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-14

उत्तर- 21.50 मी०

दक्षिण- 45.00 मी० चौड़ी सड़क

दक्षिण- 21.50 मी०

पूर्व- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-10

पूर्व- 34.40 मी०

पश्चिम- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-12

पश्चिम- 34.40 मी०

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर

2-नाम

3-पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर

2-नाम

3-पता

(विक्रेता)

सम्पत्ति प्रबन्धक

सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

( कृते आवास आयुक्त )

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर

2-नाम

3-पता

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी:1-हस्ताक्षर

2-नाम VINOD KHANNA

3-पता 122/1-A, Chaudar

Nagar, Ambagh, Lucknow



1-हस्ताक्षर

(क्रेता)

2-नाम

3-पता

तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड

इन्फोटेक प्रा०लि० की ओर से

श्री गुरुबचन सिंह पुत्र श्री

कुलवन्त सिंह निवासी-

एन०सी०बी० सिंगार नगर,

सिंगार नगर बारात घर

आलमबाग, लखनऊ एवं मैसर्स

एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर्स

प्रा०लि० की ओर से श्री गौरव

दीप सिंह पुत्र श्री गुरुबचन

सिंह निवासी- एन०सी०बी०

सिंगार नगर, सिंगार नगर

बारात घर आलमबाग,

लखनऊ



Gulam Mohammad  
S/o M. Dargahi  
Yojana Sahayak  
U.P. A.U.P. H.

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3253

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा केशव देव शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक

ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं हैं और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।



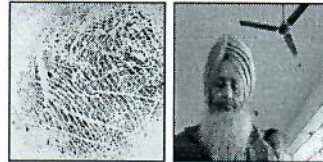
क्रेता: 1

श्री तान्या इन्फ्राबिल्ड एण्ड इन्फोटेक प्रा०लि० के द्वारा गुरबचन सिंह, पुत्र श्री कुलवन्त सिंह

निवासी: एन०सी०बी०, सिंगारनगर, बारातघर, आलमबाग, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

*S-B Singh*



क्रेता: 2

श्री मैसर्स एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर्स प्रा०लि० के द्वारा गौरवदीप सिंह, पुत्र श्री गुरबचन सिंह

निवासी: एन०सी०बी०, सिंगारनगर, बारातघर, आलमबाग, लखनऊ।

व्यवसाय: व्यापार

*Gaurav Deep Singh*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गुलाम मोहम्मद, योजना सहायक, पुत्र श्री दरगाही

निवासी: उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

व्यवसाय: नौकरी

*Gulam Mohd*



पहचानकर्ता : 2

श्री विनोद खन्ना, पुत्र श्री जे०के०खन्ना

निवासी: 122/1ए, चन्दरनगर, आलमबाग, लखनऊ।

व्यवसाय: नौकरी

*Vinod Khanna*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

*किर्मल सिंह*

उप निबंधक: सरोजनीनगर

लखनऊ

ओम प्रताप सिंह

चित्राङ्क निमित्त

IS 15700:2005



Office of The Executive Engineer  
Construction Div.-31,  
U.P.Housing & Development Board  
Office Complex, Sec.9A, Vrindavan Yojna,  
Lucknow

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



अग्नि लेखीय आधार पर शीट-द्वी हेतु

SITE PLAN OF HOUSE/PLOT NO. 16/Com-11

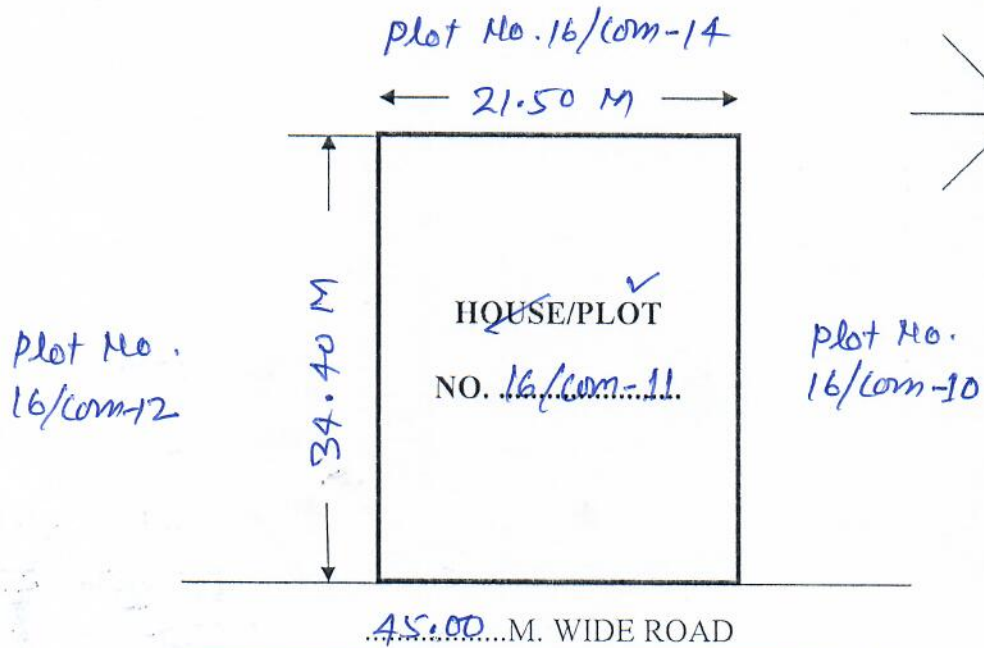
AT SECTOR- 16 VRINDAVAN YOJNA NO. 2/4, LUCKNOW

OWNER SRI./SMT. ता.या. इन्फ्राबिल्ड एवम् इन्फोटेक प्रा. लि०

द्वारा श्री उमेश प्रताप सिंह

PLOT SIZE 21.50 M x 34.40 M

TOTAL PLOT AREA- 739.60 Sqm.



09/01/2020  
D/MAN

09/01/2020  
J.E.

09/01/2020  
A.E.

09/01/2020  
F.B. Singh  
ALLOTTEE



विक्रेता  
M.O.



सम्पत्ति प्रबंधक  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवेदन सं०: 202001041004467

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3776 के पृष्ठ 227 से 240 तक क्रमांक  
3253 पर दिनांक 04/02/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

04/02/2020

